फर्द अहकाम

ालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

:- 13/202।

ओमप्रकाश **बनाम** रामकरण

ाज्ञा वाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता रामरतन शर्मा हाजिर। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 6, 7 की ओर से अधिवक्ता हरप्रीत सिंह हाजिर। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5, 8, 9 को सम्यक तामील के उपरान्त भी हाजिर नही, अतः अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5, 8, 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी को सुनने के उपरान्त हम पाते है कि विवादित भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार है, एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नही हुआ है। अतः वाद बहुलता को रोकन एवं वाद की विषयवस्तु को बनाए रखने हेतु प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में उल्लेखित भूमि पर उभय पक्षों को ताफैसलावाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पावंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	